रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337] नई दिल्ली, सोमवार, जून 03, 2019/ज्येष्ठ 13, 1941
No. 337] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 03, 2019/JYAISTHA 13, 1941

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

(बीमा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2019

सा.का.नि. 402(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 1 अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 1 अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 1 अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 में, नियम 9ड. के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"9ड. प्रसूति छुट्टी- सक्षम प्राधिकारी, किसी महिला अधिकारी को एक बार में छह मास तक विस्तारित की जा सकने वाली अवधि के लिए प्रसूति छुट्टी अनुदत्त कर सकेगा परंतु यह किसी अधिकारी की सेवा की संपूर्ण अवधि के दौरान अधिकतम पंद्रह मास तक होगी:

परंतु किसी महिला अधिकारी जिसके दो या दो से अधिक बालक हैं, को प्रसूति छुट्टी एक बार में अधिकतम तीन मास की अवधि के लिए अनुदत्त की जाएगी ।

परंतु यह और कि उक्त छुट्टी किसी नि:संतान महिला अधिकारी को उसकी सेवा के दौरान एक बार एक वर्ष से कम आयु के बालक के किसी विधिक प्रक्रिया के माध्यम से दत्तक ग्रहण के लिए अनुदत्त की जा सकेगी और निगम को दत्तक ग्रहण विलेख की एक सत्यापित सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर और छुट्टी की अधिकतम अवधि बारह सप्ताह या जब तक बालक एक वर्ष की आयु का न हो जाए, जो भी पहले हो, होगी।

परंतु यह भी कि किसी नि:संतान महिला अधिकृत माता (ऐसी जैविक माता जो किसी अन्य स्त्री में रोपित भ्रूण को पैदा करने के लिए अपने अंडाणु का उपयोग करती है) को उसकी सेवा के दौरान बालक के जन्म की तारीख से अधिकतम बारह सप्ताह की अवधि के लिए छुट्टी अनुदत्त की जा सकेगी और ऐसी छुट्टी एक बालक के लिए बालक के एक वर्ष की आयु का होने तक ली जा सकेगी ।"

[फा.सं. एस-11012/02/2018-बीमा-1]

ललित कुमार, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 794(अ) दिनांक 11 अक्टूबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 960(अ) दिनांक 7 दिसम्बर, 1987, सा.का.नि. 493(अ) दिनांक 22 अप्रैल, 1988, सा.का.नि. 872(अ) दिनांक 22 अगस्त, 1988, सा.का.नि. 711(अ) दिनांक 25 जुलाई, 1989, सा.का.नि. 816(अ) दिनांक 11 अक्टूबर, 1990, सा.का.नि. 324(अ) दिनांक 10 मार्च, 1992, सा.का.नि. 53(अ) दिनांक 2 फरवरी, 1994, सा.का.नि. 597(अ) दिनांक 30 जून, 1995, सा.का.नि. 94(अ) दिनांक 16 फरवरी, 1996, सा.का.नि. 286(अ) दिनांक 18 जुलाई, 1996, सा.का.नि. 530(अ) दिनांक 27 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 612(अ) दिनांक 30 अगस्त, 1999, सा.का.नि. 550 (अ) दिनांक 22 जून, 2000, सा.का.नि. 287 (अ) दिनांक 27 अप्रैल, 2004, सा.का.नि. 559(अ) दिनांक 5 सितम्बर, 2005, सा.का.नि. 305 (अ) दिनांक 25 अप्रैल, 2007, सा.का.नि. 631 (अ) दिनांक 2 सितम्बर, 2009, सा.का.नि. 824(अ) दिनांक 8 अक्टूबर, 2010, सा.का.नि. 16(अ) दिनांक 8 जनवरी, 2013, सा.का.नि. 28(अ) दिनांक 14 जनवरी, 2016 और सा.का.नि. 194 (अ), दिनांक 26 फरवरी 2016 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

(INSURANCE DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2019

G.S.R. 402(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Life Insurance Corporation of India, Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, for rule 9E, the following rule shall be substituted, namely:—

" 9E. Maternity Leave.—The competent authority may grant maternity leave to a female officer for a period which may extend upto six months at a stretch subject to a maximum of fifteen months during the entire period of her service:

Provided that the maternity leave to a female officer having two or more surviving children shall be granted for a maximum period of three months at a stretch:

Provided further that the leave may be granted once during the service to a childless female officer for adopting a child who is below one year age through a proper legal process and on submission of a certified true copy of adoption deed to the corporation and the maximum period of leave shall be twelve weeks or till the child attains the age of one year, whichever is earlier:

Provided also that leave of maximum twelve weeks may be granted once during the service to a childless female commissioning mother (a biological mother who uses her egg to create an embryo implanted in any other woman) from the date of birth of the child, and such leave may be availed for one child till the child attains the age of one year.".

[F. No. S-11012/02/2018-Ins.1]

LALIT KUMAR, Economic Advisor

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G.S.R.794(E) dated the 11th October, 1985 and subsequently amended vide G.S.R.960(E) dated 7th December, 1987, G.S.R.493(E) dated the 22nd April, 1988, G.S.R.872(E) dated 22nd August, 1988, G.S.R.711(E) dated 25th July, 1989, G.S.R.816(E) dated 11th October, 1990, G.S.R.324(E) dated 10th March, 1992, G.S.R.53(E) dated 2nd February, 1994, G.S.R.597(E) dated 30th June, 1995, G.S.R.94(E) dated 16th February, 1996, G.S.R.286(E) dated 18th July, 1996, G.S.R.530(E) dated 27th August, 1998, G.S.R.612(E) dated 30th August, 1999, G.S.R.550 (E) dated 22nd June, 2000, G.S.R.287 (E) dated the 27th April,2004, G.S.R.559(E) dated 5th September, 2005, G.S.R.305 (E) dated 25th April,2007, G.S.R. 631 (E) dated 2nd September, 2009, G.S.R.824(E) dated 8th October,2010, G.S.R.16(E) dated 8th January,2013, G.S.R. 28(E) dated 14th.January 2016 and G.S.R. 194 (E) dated 26th February 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2019

सा.का.नि. 403(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(**1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 में, नियम 10घ के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"10घ. प्रसूति छुट्टी- सक्षम प्राधिकारी, किसी महिला विकास अधिकारी को एक बार में छह मास तक विस्तारित की जा सकने वाली अवधि के लिए प्रसूति छुट्टी अनुदत्त कर सकेगा परंतु यह किसी अधिकारी की सेवा की संपूर्ण अवधि के दौरान अधिकतम पंद्रह मास तक होगी:

परंतु किसी महिला विकास अधिकारी जिसके दो या दो से अधिक बालक हैं, को प्रसूति छुट्टी एक बार में अधिकतम तीन मास की अवधि के लिए अनुदत्त की जाएगी।

परंतु यह और कि उक्त छुट्टी किसी नि:संतान महिला विकास अधिकारी को उसकी सेवा के दौरान एक बार एक वर्ष से कम आयु के बालक के किसी विधिक प्रक्रिया के माध्यम से दत्तक ग्रहण के लिए अनुदत्त की जा सकेगी और निगम को दत्तक ग्रहण विलेख की एक सत्यापित सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर और छुट्टी की अधिकतम अवधि बारह सप्ताह या जब तक बालक एक वर्ष की आयु का न हो जाए, जो भी पहले हो, होगी।

परंतु यह भी कि किसी नि:संतान महिला अधिकृत माता (ऐसी जैविक माता जो किसी अन्य स्त्री में रोपित भ्रूण को पैदा करने के लिए अपने अंडाणु का उपयोग करती है) को उसकी सेवा के दौरान बालक के जन्म की तारीख से अधिकतम बारह सप्ताह की अवधि के लिए छुट्टी अनुदत्त की जा सकेगी और ऐसी छुट्टी एक बालक के लिए बालक के एक वर्ष की आयु का होने तक ली जा सकेगी ।"

[फा.सं. एस-11012/02/2018-बीमा-1]

ललित कुमार, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सा.का.नि. 1091(अ) , दिनांक 17 सितम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 962(अ), दिनांक 7 दिसम्बर, 1987; सा.का.नि. 871(अ) , दिनांक 22 अगस्त, 1988, सा.का.नि. 968(अ) , दिनांक 7 नवम्बर, 1989; सा.का.नि. 825(अ), दिनांक 9 अक्टूबर, 1990; सा.का.नि. 55(अ) दिनांक 21 जनवरी, 1992, सा.का.नि. 325(अ) दिनांक 10 मार्च, 1992; सा.का.नि. 54(अ) दिनांक 2 फरवरी, 1994; सा.का.नि. 596(अ) दिनांक 30 जून, 1995; सा.का.नि. 95(अ) दिनांक 16 फरवरी, 1996; सा.का.नि. 287(अ) दिनांक 18 जुलाई, 1996; सा.का.नि. 531(अ) दिनांक 27 अगस्त, 1998; सा.का.नि. 551 (अ) दिनांक 22 जून, 2000; सा.का.नि. 288 (अ) दिनांक 27 अप्रैल, 2004, सा.का.नि. 560(अ) दिनांक 5 सितम्बर, 2005; सा.का.नि. 825(अ) दिनांक 8 अक्टूबर, 2010, सा.का.नि. 29(अ) दिनांक 14 जनवरी 2016 तथा सा.का.नि. 196(अ) दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2019

G.S.R. 403(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986, for rule 10D, the following rule shall be substituted, namely:—

"10D. Maternity Leave.—The competent authority may grant maternity leave to a female development officer for a period which may extend up to six months at a stretch subject to a maximum of fifteen months during the entire period of her service:

Provided that the maternity leave to a female development officer having two or more surviving children shall be granted for a maximum period of three months at a stretch:

Provided further that the leave may be granted once during the service to a childless female development officer for adopting a child who is below one year age through a proper legal process and on submission of a certified true copy of the adoption deed to the corporation and the maximum period of leave shall be twelve weeks or till the child attains the age of one year, whichever is earlier:

Provided also that leave of maximum twelve weeks may be granted once during the service to a childless female commissioning mother (a biological mother who uses her egg to create an embryo implanted in any other woman) from the date of birth of the child and such leave may be availed for one child till the child attains the age of one year.".

[F. No. S-11012/02/2018-Ins.1]

LALIT KUMAR, Economic Advisor

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G.S.R. 1091(E) dated the 17th September, 1986 and subsequently amended vide G.S.R. 962(E) dated the 7th December, 1987, G.S.R. 871(E) dated the 22nd August, 1988, G.S.R. 968(E) dated the 7th November, 1989, G.S.R. 825(E) dated the 9th October, 1990, G.S.R. 55(E) dated 21st January, 1992, G.S.R. 325(E) dated 10th March, 1992, G.S.R. 54(E) dated 2nd February, 1994, G.S.R. 596(E) dated 30th June, 1995, G.S.R. 95(E) dated 16th February, 1996, G.S.R. 287(E) dated the 18th July, 1996, G.S.R. 531(E) dated 27th August, 1998, G.S.R. 551 (E) dated 22nd June, 2000, G.S.R. 288 (E) dated 27th April,2004, G.S.R. 560(E) dated 5th September, 2005, G.S.R. 825(E) dated the 8th October, 2010, G.S.R. 29(E) dated 14th January 2016 and G.S.R. No. 196(E) dated 26th February, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2019

सा.का.नि. 404(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 में, नियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"17. **प्रसूति छुट्टी**—सक्षम प्राधिकारी, किसी महिला कर्मचारी को एक बार में छह मास तक विस्तारित की जा सकने वाली अवधि के लिए प्रसूति छुट्टी अनुदत्त कर सकेगा परंतु यह किसी महिला कर्मचारी की सेवा की संपूर्ण अवधि के दौरान अधिकतम पंद्रह मास तक होगी:

परंतु किसी महिला कर्मचारी जिसके दो या दो से अधिक बालक हैं, को प्रसूति छुट्टी एक बार में अधिकतम तीन मास की अवधि के लिए अनुदत्त की जाएगी ।

परंतु यह और कि उक्त छुट्टी किसी नि:संतान महिला कर्मचारी को उसकी सेवा के दौरान एक बार एक वर्ष से कम आयु के बालक के किसी विधिक प्रक्रिया के माध्यम से दत्तक ग्रहण के लिए अनुदत्त की जा सकेगी और निगम को दत्तक ग्रहण विलेख की एक सत्यापित सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर और छुट्टी की अधिकतम अवधि बारह सप्ताह या जब तक बालक एक वर्ष की आयु का न हो जाए, जो भी पहले हो, होगी।

परंतु यह भी कि किसी नि:संतान महिला अधिकृत माता (ऐसी जैविक माता जो किसी अन्य स्त्री में रोपित भ्रूण को पैदा करने के लिए अपने अंडाणु का उपयोग करती है) को उसकी सेवा के दौरान बालक के जन्म की तारीख से अधिकतम बारह सप्ताह की अवधि के लिए छुट्टी अनुदत्त की जा सकेगी और ऐसी छुट्टी एक बालक के लिए बालक के एक वर्ष की आयु का होने तक ली जा सकेगी ।"

[फा.सं. एस-11012/02/2018-बीमा-1]

ललित कुमार, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 357(अ) दिनांक 11 अप्रैल, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 18(अ) दिनांक 7 जनवरी, 1986, सा.का.नि. 1076 (अ) दिनांक 11 सितम्बर, 1986, सा.का.नि. 961(अ) दिनांक 7 दिसम्बर, 1987; सा.का.नि. 870(अ) & 873 (अ) दोनों दिनांक 22 अगस्त, 1988 को, सा.का.नि. 515(अ) दिनांक 12 मई, 1989, सा.का.नि. 509(अ) दिनांक 24 मई,

1990, सा.का.नि. 620(अ) दिनांक 6 जुलाई, 1990, सा.का.नि. 628(अ) दिनांक 10 जुलाई, 1990, सा.का.नि. 338(अ) दिनांक 11 जुलाई, 1991, सा.का.नि. 697 (अ) दिनांक 25 नवम्बर, 1991, सा.का.नि. 46 (अ) & सा.का.नि. 47 (अ) दोनों दिनांक 4 फरवरी, 1993 को, सा.का.नि. 746 (अ) दिनांक 13 दिसम्बर, 1993, सा.का.नि. 55(अ) दिनांक 2 फरवरी, 1994; सा.का.नि. 595(अ) दिनांक 30 जून, 1995, सा.का.नि. 669(अ) दिनांक 27 सितम्बर, 1995, सा.का.नि. 102 (अ) दिनांक 22 फरवरी, 1996, सा.का.नि. 261(अ) दिनांक 22 मई, 1998, सा.का.नि. 532(अ) दिनांक 27 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 445 (अ) दिनांक 18 जून, 1999, सा.का.नि. 611(अ) दिनांक 30 अगस्त, 1999, सा.का.नि. 552 (अ), दिनांक 22 जून, 2000, सा.का.नि. 289 (अ) दिनांक 27 अप्रैल, 2004, सा.का.नि. 561(अ) दिनांक 5 सितम्बर, 2005, सा.का.नि. 306 (अ) दिनांक 25 अप्रैल, 2007, सा.का.नि. 72 (अ) दिनांक 6 फरवरी, 2008, सा.का.नि. 826(अ) दिनांक 8 अक्टूबर, 2010, सा.का.नि. 30(अ) दिनांक 14 जनवरी, 2016, सा.का.नि. 195(अ) दिनांक 26 फरवरी, 2016 तथा सा.का.नि. 1087 (अ) दिनांक 24 नवम्बर, 2016 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2019

G.S.R. 404(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Life Insurance Corporation of India, Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, for rule 17, the following rule shall be substituted, namely:—

"17. Maternity Leave.— The competent authority may grant maternity leave to a female employee for a period which may extend up to six months at a stretch subject to a maximum of fifteen months during the entire period of her service:

Provided that the maternity leave to a female employee having two or more surviving children shall be granted for a maximum period of three months at a stretch.

Provided further that the leave may be granted once during the service to a childless female employee for adopting a child who is below one year age through a proper legal process and on submission of a certified true copy of adoption deed to the corporation and the maximum period of leave shall be twelve weeks or till the child attains the age of one year, whichever is earlier.

Provided also that leave of maximum twelve weeks may be granted once during the service to a childless female commissioning mother (a biological mother who uses her egg to create an embryo implanted in any other woman) from the date of birth of the child and such leave may be availed for one child till the child attains the age of one year.".

[F. No. S-11012/02/2018-Ins.1]

LALIT KUMAR, Economic Advisor

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G.S.R. 357(E) dated 11th April, 1985 and subsequently amended vide G.S.R. 18(E) dated 7th January, 1986, G.S.R. 1076 (E) dated 11th September, 1986, G.S.R. 961(E) dated 7th December, 1987; G.S.R. 870(E) & 873 (E) both on dated 22nd August, 1988, G.S.R. 515(E) dated 12th May, 1989, G.S.R.509(E) dated 24th May, 1990, G.S.R. 620(E) dated 6th July, 1990, G.S.R. 628(E) dated 10th July, 1990, G.S.R. 338(E) dated 11th July, 1991, G.S.R. 697 (E)

dated 25th November, 1991, G.S.R. 46 (E) & G.S.R. 47 (E) both on dated 4th February, 1993, G.S.R. 746 (E) dated 13th December, 1993, G.S.R. 55(E) dated 2nd February, 1994; G.S.R. 595(E) dated 30th June, 1995, G.S.R. 669(E) dated 27th September, 1995, G.S.R.102(E) dated 22nd February, 1996, G.S.R. 261(E) dated 22nd May, 1998, G.S.R. 532(E) dated 27th August, 1998, G.S.R. 445 (E) dated 18th June, 1999, G.S.R. 611(E) dated 30th August, 1999, G.S.R. 552 (E),dated 22nd June, 2000, G.S.R. 289 (E) dated 27th April, 2004, G.S.R. 561(E) dated 5th September, 2005, G.S.R. 306 (E) dated 25th April, 2007, G.S.R. 72 (E) dated 6th February, 2008, G.S.R. 826(E) dated 8th October, 2010, G.S.R. 30(E) dated 14th January, 2016, G.S.R. 195(E) dated 26th February, 2016 and G.S.R. 1087 (E) dated 24th November, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.06.04 11:33:11 +05'30'